**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या : 546**
**गुरुवार, 28 नवंबर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

**कमर्शियल पायलट लाइसेंस**

**546. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं को जारी किए गए कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विमानन क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कोई उपाय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क) पिछले 03 वर्षों के दौरान महिलाओं को जारी किए गए वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| **वर्ष** | **महिलाओं को जारी की गई सीपीएल की संख्या** |
|---|---|
| 2022 | 343 |
| 2023 | 306 |
| 2024 | 321 |

(दिनांक 18.11.2024 तक)

(ख) और (ग) नागर विमानन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) देश में प्रशिक्षित पायलटों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) ने उदारीकृत उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत हवाईअड्डा रॉयल्टी (एफटीओ द्वारा भाविप्रा को राजस्व भागीदारी का भुगतान) की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है और भूमि किराए को काफी हद तक युक्तिसंगत बनाया गया है।

(ii) वर्ष 2021 में, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के पश्चात, भाविप्रा ने बेलगावी (कर्नाटक), जलगांव (महाराष्ट्र), कलबुर्गी (कर्नाटक), खजुराहो (मध्य प्रदेश) और लीलाबाड़ी (असम) में पांच हवाईअड्डों पर नौ एफटीओ स्लॉट अवार्ड किए। जून 2022 में, बोली प्रक्रिया के दूसरे दौर के अंतर्गत, भाविप्रा द्वारा पांच हवाईअड्डों पर छह एफटीओ स्लॉट नामत: भावनगर (गुजरात) में दो स्लॉट, और हुबली (कर्नाटक), कडप्पा (आंध्र प्रदेश),

किशनगढ़ (राजस्थान) और सलेम (तमिलनाडु) में एक-एक स्लॉट अवार्ड किए गए। इनमें से 11 एफटीओ स्लॉट प्रचालनिक हैं।

एफटीओ की संख्या में वृद्धि से महिलाओं को विमानन क्षेत्र में प्रवेश के लिए अधिक अवसर मिलने की संभावना है। इसके अलावा, विमानन क्षेत्र में महिलाओं को प्रवेश के लिए विविध अवसर प्रदान करने हेतु 135 रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (आरपीटीओ) स्थापित किए गए हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डीएवाई-एनआरएलएम के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय क्षेत्रीय योजना "नमो ड्रोन दीदी" को लागू किया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2024-25 से 2025-2026 की अवधि के दौरान 14500 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि उद्देश्य के लिए किराया सेवाएं प्रदान करने हेतु ड्रोन उपलब्ध कराना है। ड्रोन निर्माता ड्रोन की आपूर्ति के साथ-साथ पैकेज के रूप में प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे।

*****